न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 06/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्रीमती रूकमणी पत्नि श्री नरपत सांसी कॉलोनी, भदवासियां जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28.04.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी रूकमणी पत्नि श्री नरपत सांसी कॉलोनी भदवासिया जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 03 घरेलु सिलेण्डरों, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि को दिनांक 28.10.2022 को महामन्दिर थाने से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी के मौखिक आदेशानुसार महामन्दिर थाने पहुंचने उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कन्ट्रोल रूम से प्राप्त शिकायत पर सांसी कॉलानी गली नं. 5 भदवासिया में श्रीमती रूकमणी पत्नि नरपत के घर में तीन घरेलु गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटों में रिफलिंग की नोजल मिली। अप्रार्थी श्रीमती रूकमणी के पास 03 घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहित पाए गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

क्र.स.	गैस कम्पनी का नाम	नम्बर	टंकी का वजन	कुल वजन	गैस का वजन
1.	भारत गैस	223101	15.5 किलो	25.6 किलो	10.1 किलो
2.	भारत गैस	100390	15.7 किलो	29.8 किलो	14.1 किलो
3.	एच.पी.	245361	16.2 किलो	16.2 किलो	0
1 इलेक्ट्रॉनिक काटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल					

उक्त वर्णित 3 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को जब्त सरकार किया जाकर श्री नाथूराम प्रजापत पुत्र श्री पोलाराम निवासी काकेलाव (हाल हॉकर हनवन्त एचपी गैस) को सुपुर्द किया गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल का अवैध भण्डारण व उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा घर पर वक्त जांच मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल संग्रहित किये हुए पाए गए। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल का अवैध भण्डारण व संग्रहण किया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम चौधरी ने अपनी बहस में उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अप्रार्थी द्वारा अपने घर पर ही उपयोग किया जाना बताया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल संग्रहण किया जाना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने घर पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल का अवैध भण्डारण व संग्रहण किया जाकर उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रिफलिंग की मोटर मय पाईप व ऑटो में रिफलिंग की नोजल का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Scanned with CamScanner